ग्राम पंचायत काठगढ़, विकास खण्ड इंदौरा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

भाग-एक

1. प्रस्तावना

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत काठगढ़, विकास खण्ड इंदौरा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री जगमोहन सिंह	01-04-22 से 31-03-24

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री जतिंदर सिंह	01-04-2022 से 26-02-2024
2.	श्री राजेश कुमार	27-02-2024 से 31.03.2024

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत काठगढ़ के अवधि "01-04-2022 से 31-03-2024" के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹ लाखों में}
1.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	17.85
2.	6	प्रिया सॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के वार्षिक आंकड़ों में राशि का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	5.28

3.	7	गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण, पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.13
4.	9	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करना	0.12
5.	10	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से सम्भावित राजस्व हानि	0.61
6.	12	माप पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा/से नमूना जाँच व सत्यापन न करना/करवाना	23.40

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत काठगढ़, विकास खण्ड इंदौरा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2022 से 31/03 /2024" तक के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 26-04-2024 से 02-05-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय, काठगढ़ में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	01/23	11/22
2023-24	08/23	04/23

<u>अस्वीकरण</u>:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत काठगढ़, विकास खण्ड इंदौरा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹4,800**/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 234 दिनांक 02.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत काठगढ़ से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत काठगढ़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्व: स्त्रोत:- ग्राम पंचायत काठगढ़ के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	187947.30	184201.80	372149.10	194203.00	177946.10
2023-24	177946.10	119215.00	297161.10	64903.00	232258.10

{ख} अनुदान:- ग्राम पंचायत काठगढ़ के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	1515208.20	4729031.60	6244239.80	3865239.40	2379000.40
2023-24	2379000.40	2126143.00	4505143.40	2719659.00	1785484.40

{ग} दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	General/5TH FC/SDRF/MMAGY/TSC/ SDRF	KCCB INDORA	20076007237	650266.10
2.	VKVNY	KCCB INDORA	50055609721	19958.00
3.	15TH FC	CENTRAL BANK INDORA	3839917228	553385.00
4.	SDP	KCCB INDORA	50055609801	798984.40
5.	हस्तगत रोकड़			399.00
कुल योग				**2022992.50**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

	Bank Reconciliation	
	Bank Balance as per pass Book as on 31.03.2024	2022992.50
LESS	On dated 26.03.2023 the expenditure of ₹5250 of 15th FC has been recorded in cash book but not debited by bank till dated.	5250
	Total	**2017742.50**
	Balance as per cash book on dated 31.03.2024	**2017742.50**

अतः दिनांक 26.03.2023 की व्यय राशि ₹5250/-की वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

4.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर

प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है।

अत: अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

5. अनुदान राशि ₹17.85 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है|

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-24 तक अनुदान राशि ₹1785484.40 उपयोग हेतु **शेष** थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है|

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 232(1) दिनांक 02.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत काठगढ़ से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 01 GPKATH-01/2024 दिनांक 02.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अनुदानों की शेष राशि को अंकेक्षणावधि के दौरान व्यय न करने के कारणों का तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके, उक्त राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतू व्यय करना सुनिश्चित किया जाये |

6. प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के वार्षिक आंकड़ों में ₹5.28 लाख का बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E- Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है, जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि. प्र. कर रहा है | इस योजना के क्रियान्वयन के साथ – साथ हि. प्र. पंचायती राज (समान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागजरहित प्रणाली के अंतर्गत e-panchayt में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियम/निर्देशों के विरुद्ध लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा प्रिया सॉफ्ट (computerised) दोनों माध्यम से किया जा रहा तथा जो लेखे Priya Soft में बनाये जा रहें है, वे बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही खातों से मिलान नहीं खाते | परिणामस्वरूप ₹753/- का अंतर पाया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(ख) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक प्राप्ति /व्यय में अंतर (Except MNREGA)

क्रम स.	वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	2022-23	3067622.10	3179229.80	111607.70	2249437.10	2325438.80	76001.80
2	2023-24	1910644.00	1930034.00	19390	2997394.50	2469238.00	528156.50

(ग) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए बैंक शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (Except MNREGA)

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष	बैंक पासबुक के अनुसार शेष + (CASH IN HAND)	अंतर
2023-24	2023356.50 + 389 (Cash in Hand) = 2023745.50	2022992.50	753/-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 232(3) दिनांक 02.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या 01 GPKATH-01/2024 दिनांक 02.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः उल्लेखित अन्तर बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.13 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है, के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹100 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था तथा ₹13450 की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी, जिसका विवरण नीचे तालिका व **परिशिष्ट – 2** में दिया गया है :-

सम्पति कर:-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	589	100	0	58900	58900	0	58900
2023-24	589	100	58900	58900	117800	104350	13450

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता लगाया जा सके।

अत: गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 232(2) दिनांक 02.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 01 GPKATH-01/2024 दिनांक 02.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र नियमित वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8. विवाह पंजीकरण शुल्क ₹600 की वसूली न करने बारे :-

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य) व आई . आर. डी. पी./बी.पीएल.के लिए ₹25 पंजीकरण शुल्क व ₹30 दिनों के

बाद ₹90 दिनों के भीतर ₹400 (सामान्य)से व ₹50 आई . आर. डी. पी./बी.पीएल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है |

अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 04/22 से 03/24 के दौरान निम्नलिखित आवेदकों का विवाह पंजीकरण किया गया था, परन्तु उक्त अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित आवेदकों से विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली नहीं की गई थी जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	विवाह पंजीकरण रजिस्टर के अनुसार क्रम संख्या	आवेदक का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूल योग्य राशि
1.	07	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री जोगिन्दर पाल	16.04.2022	16.07.2022	400
2.	10	श्री हेम राज पुत्र श्री जैसी राम	27.09.2022	10.10.2022	200
				कुल योग	**₹600**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 232(4) दिनांक 02.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या 01 GPKATH-01/2024 दिनांक 02.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अतः वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9. विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे:-

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 व सयुंक्त निदेशक, पंचायती

राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.2016 अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है, जिसे समय समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान निम्न विवरणानुसार ₹12000/- विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त किये गये थे जिसे उक्त अधिसूचना के अनुसार सरकारी कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था परन्तु उक्त राशि अंकेक्षण समाप्ति तक पंचायत बैंक खाते में जमा थी, जोकि उपरोक्त नियमों व दिशा निर्देशों की अवेहलना है :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि**
1	2022-23	4400
2	2023-24	7600
	कुल योग	**₹12000**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 232(5) दिनांक 02.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 01 GPKATH-01/2024 दिनांक 02.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा न करवाने के कारणों से अवगत करवाया जाये अथवा उपरोक्त निर्देशानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10. खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप राशि ₹0.61 लाख के राजकीय राजस्व की सम्भावित हानि:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार **₹61714/-** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है :-

नाम	मात्रा (cum)	फैक्टर	कुल मात्रा	दर (प्रति टन)	राशि
रेत	137	1.62	221.94	80	17755
बजरी	260	1.52	395.20	80	31616
कुल योग					**49371**
पेनल्टी 25%					12343
कुल योग					**61714/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 233(1) दिनांक 02.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या 01 GPKATH-01/2024 दिनांक 09.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण रॉयल्टी की गणना नहीं की जा सकी।

अतः ₹61714/- के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस मामले को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित

स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें।

11 बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के दौरान बिलों के भुगतान हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था, जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है :-

क्र0सं0	**वर्ष**	**चयनित माह**	**चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि (₹)**
1.	2022-23	11/2022	**602529.00**
2.	2023-24	04/2023	**707438.00**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 233(2) दिनांक 02.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या 01 GPKATH-01/2024 दिनांक 02.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

12. राशि ₹23.40 लाख की माप पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा/से नमूना जाँच व सत्यापन न करना/करवाना :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, सम्परीक्षा, सकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (i) व (ii) के अनुसार ग्राम पंचायत अपने स्तर पर निष्पादित किये जाने वाले संकर्मो की दशा में, तकनीकी सहायक द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण अनिवार्य होगा तथा सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा, तकनीकी सहायक के तीन लाख रूपये तक की लागत के पैमाइश किये गये संकर्मो के दस प्रतिशत पर परीक्षण जांच संचालित करना अपेक्षित है तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है|

अंकेक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसमें से कुछ प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	शीर्ष	स्वीकृत राशि	माप पुस्तिका व पेज संख्या
1.	निर्माण रास्ता रविंदर के घर से शांती देवी के घर तक Phase – 1	15^{TH} FC	250000	12711/83-85
2.	निर्माण रास्ता रविंदर के घर से शांती देवी के घर तक Phase – 2	15^{TH} FC	250000	12711/86-85
3.	निर्माण कार्य बाड़ नियन्त्रण कार्य निर्माण नाला नजदीक प्रकाशो देवी के घर तक	SDRF + मनरेगा	1840000	12723/93-95

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 233(3) दिनांक 02.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या 01 GPKATH-01/2024 दिनांक 02.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः पूर्वोक्त वर्णित नियम प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित न करने के कारणों से अवगत करवाते हुये उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

13. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	15(1)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	---	31
5	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(14)
6	सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण न करना	25 व 26	72(1) (ए,बी)

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 233(4) दिनांक 02.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या 01 GPKATH-01/2024 दिनांक 02.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

15. **लघु-आपति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

16. **निष्कर्ष**:- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

08 JUL 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

3478 – 3482 का0/50

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)412/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत काठगढ़, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

08 JUL 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/50

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT KATHGARH BLOCK INDORA DISTRICT INDORA PINCODE 176401

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	187947.30	184201.80	372149.1	194203.00	177946.10

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 187947.30

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT KATHGARH BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA PINCODE 176401

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2023-24	177946.10	119215.00	297161.1	64903.00	232258.1

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 177946.10

Secretary
G.P. Kathgarh, Block Indora
Distt. Kangra (H.P.)

J.A

हस्ताक्षर
दिनांक

परिशिष्ट-1 पैरा 5 के संदर्भ में

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP KATHGARH BLOCK INDORA FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	144899.8	888.00	145787.80	145787.80	0.00
2	MGNREGA	0	1734003.60	1734003.60	1734003.60	0.00
3	PMKSY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	62423	329076.00	391499.00	308676	82823.00
5	NRHM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	RGSA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	63274.00	101193.00	164467.00	134444	30023.00
9	SDRF	0	720000.00	720000.00	334208.00	385792.00
10	IWDP	0	0.00	0.00	0.00	0.00
11	TSC	0	200000.00	200000.00	200000.00	0.00
12	PMAGY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	371573.4	311104.00	682677.40	254576.00	428101.40
15	MMAGY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	873038.00	1332767.00	2205805.00	753544.00	1452261.00
	TOTAL	**1515208.20**	**4729031.60**	**6244239.80**	**3865239.40**	**2379000.40**

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP KATHGARH BLOCK INDORA FOR THE YEAR 2023-24

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MGNREGA	0.00	315324.00	315324.00	315324.00	0.00
3	PMKSY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	82823.00	398280	481103.00	408888	72215.00
5	NRHM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0.00	0	0.00	0	0.00
7	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	30023.00	631	30654.00	10696	19958.00
9	SDRF	385792.00	0.00	385792.00	289800.00	95992.00
10	IWDP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	TSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	PMAGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	428101.40	670623.00	1098724.40	299740.00	798984.40
15	MMAGY	0.00	250000.00	250000.00	0.00	250000.00
16	15TH FC	1452261.00	491285.00	1943546.00	1395211.00	548335.00
	TOTAL	**2379000.40**	**2126143.00**	**4505143.40**	**2719659.00**	**1785484.40**

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF GRANT IN AID AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 2379000.40

Secretary
G.P. Kathgarh Dev. Block Indora
Distt. Kangra (H.P.)

J.A

17

BANK DETAIL OF GP KATHGARH BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA				
CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-22				
S.NO	**HEAD**	**BANK NAME**	**ACCOUNT NO**	**AMOUNT**
1	General/5TH FC/SDRF/MMAGY/ TSC/SDRF	KCCB INDORA	20076007237	249505.3
2	VKVNY	KCCB INDORA	50055609721	63274.00
3	15TH FC	CENTRAL BANK INDORA	3839917228	873038.00
4	SDP	KCCB INDORA	50055609801	371573.4
5	14TH FC	KCCB INDORA	50055609754	144899.8
CASH IN HAND				865.00
TOTAL				**1703155.50**

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23				
S.NO	**HEAD**	**BANK NAME**	**ACCOUNT NO**	**AMOUNT**
1	General/5TH FC/SDRF/MMAGY/ TSC/SDRF	KCCB INDORA	20076007237	646532.10
2	VKVNY	KCCB INDORA	50055609721	30023.00
3	15TH FC	CENTRAL BANK INDORA	3839917228	1457311.00
4	SDP	KCCB INDORA	50055609801	428101.40
5	14TH FC	KCCB INDORA	50055609754	0.00
CASH IN HAND				29.00
TOTAL				**2561996.50**

BANK DETAIL OF GP KATHGARH BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA				
CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-24				
S.NO	**HEAD**	**BANK NAME**	**ACCOUNT NO**	**AMOUNT**
1	General/5TH FC/SDRF/MMAGY/ TSC/SDRF	KCCB INDORA	20076007237	650266.10
2	VKVNY	KCCB INDORA	50055609721	19958.00
3	15TH FC	CENTRAL BANK INDORA	3839917228	553385.00
4	SDP	KCCB INDORA	50055609801	798984.40
CASH IN HAND				399.00
TOTAL				**2022992.50**

Rajesh
Secretary
G.P Kathgarh V. Block Indora
Distt. Kangra (H.P.)

Ajit
J. A

	Bank Reconcilation	
	Bank Balance as per pass Bokk as on 31.03.2024	2022992.50
LESS	On dated 26.03.2023 the expendituer of RS. 5250 of 15th FC has been recorded in cash book but not debited by bank till dated.	5250
	Total	**2017742.50**
	Balance as per cash book on dated 31.03.2024	**2017742.50**

Secretary
G.P. Kathgal, Dev. Block Indora
Distt. Kangra (H.P.)

J.A

सचिव
दिनांक

परिशिष्ट - 2 पैरा - 7 के संदर्भ में

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT KATHGARH BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	589	100	0	58900	58900	0	58900

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT KATHGARH BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2023-24	589	100	58900	58900	117800	104350	13450

Secretary
G.P. Kathgarh Block Indora
Indora (H.P.)

J.A

20